सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **144/2010** दायर दिनाँक **21.10.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र उमाराम, उम्र–60साल, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. नोपाराम पुत्र उमाराम, 2. गणपतराम पुत्र उमाराम, 3. स्वर्गीय रामेश्वर पुत्र उमाराम, के वारिशान्– A. कानाराम पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, B. दौलाराम पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, C. रूकमा पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर, 4. उगमाराम पुत्र बालुराम, 5. गोपीराम पुत्र बालुराम, 6. स्वर्गीय पूर्णाराम पुत्र बालुराम के वारिशान्– A. प्रभुराम उर्फ प्रभुराम पुत्र स्वर्गीय पूर्णाराम, B. बंशीलाल पुत्र स्वर्गीय पूर्णाराम, C. धापूदेवी पत्नी स्वर्गीय पूर्णाराम, 7. शिवपालसिंह पुत्र शिवजीराम, 8. बालुराम पुत्र मुकनाराम, 9. स्वर्गीय कालूराम के वारिशान् A. मना पुत्री स्वर्गीय कालूराम, 10. बुधाराम पुत्र रामूराम, 11. तुलछीराम पुत्र भींयाराम, 12. राजेश पुत्र अर्जुनराम, 13. गंगादेवी पत्नी अर्जुनराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 144/2010
दायर दिनाँक 21.10.2010, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
हीराराम बनाम् नोपाराम, वगैरा।

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 24.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान् हैं।

शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 399, 400 व 408 कुल रकबा 28.09 बीघा सभी पक्षकारान् की सहखातेदारी की अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि के कुल रकबा 28.09 बीघा भूमि में से 09.15 बीघा भूमि वादी हीराराम की है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद धनकोली में खसरा नम्बर. 399, 400 व 408 कुल रकबा 28.09 बीघा के 1/8 भाग जिसमें रामेश्वर, हीराराम, नोपाराम व गणपत पि. उमाराम के अतिरिक्त काका/काका के परिवार बेगाराम, उगमाराम, गोपीराम पि. बालुराम, प्रभु, बंशी, धापू, वारिशान् पूर्णाराम एवं शिवपालसिंह पुत्र शिवजीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे तथा 1/8 हिस्सा अकेले एवं उमाराम के वारिशान् का घोषित किया जावे।

वाद निहित कृषि भूमि में कुल चार लाँगड़ी स्वर्गीय उमाराम के वारिशान् की है जिसमें से पौने तीन लाँगड़ी यानि 09 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि अकेले वादी हीराराम के बन्ट, हक, हिस्सा की घोषित की जाकर हिस्सा 09 बीघा 15 बिस्वा एक तरफ करके दिलवाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 6ए, 08, 09सी, 10, 11, 12, 13, 14 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02, 03सी, 04, 05, 06सी, 07 ने दिनाँक 09.01.2012 को वाद में जवाब पेश किया।

वाद में निम्न विवाद्यक तय किये गयेः–

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 144/2010
दायर दिनाँक 21.10.2010, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
हीराराम बनाम् नोपाराम, वगैरा।

1. आया वादी ग्राम धनकोली स्थित खसरा नम्बर 399, 400 व 408 कुल रकबा 28.09 बीघा वाद के पद संख्या 02 के अनुसार खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है,

–वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है,

–वादी

3. आया वादी ग्राम धनकोली स्थित खसरा नम्बर 399, 400 व 408 कुल रकबा 28.09 बीघा के 1/8 भाग में से बेगाराम, उगमाराम, गोपीराम, प्रभुराम, बंशी, धापू वारिशान् पूर्णाराम, शिवपालसिंह पुत्र शिवजीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटवाया जावे तथा 1/8 भाग में अकेले उमाराम के वारिशान् की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है,

–वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी बाबत् दिनाँक 11.10.1998 को लिखा पढी कर प्रतिवादी को पाँती में दिये जाने से वादी का वाद खारिज योग्य है,

–प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

वादी हीराराम की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. को पेश हुआ। वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी हीराराम से जिरह की गयी। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, वंशवृक्ष अनुसूची "क" व अनुसूची "ख", पेश किये है। दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, प्रदर्श–01 बैचाणनामा, प्रदर्श–02/01 बैचाणनामा, प्रदर्श–03 जमाबन्दी सम्वत् 2064–67, पेश किये गये हैं।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**धनकोली** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी दावानुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। उपस्थित प्रतिवादीगण ने तर्क रखा कि, वादग्रस्त भूमि उनकी एक पैतृक भूमि है इसलिए उनका भी वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण के द्वारा रखे गये तर्क का वादी ने प्रतितर्क किया कि, वादग्रस्त जायगा पैतृक भूमि

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 144/2010
दायर दिनाँक 21.10.2010, निर्णय दिनाँक 24.05.2018
हीराराम बनाम् नोपाराम, वगैरा।

न होकर वादी की खरीदशुदा भूमि है, इसलिए प्रतिवादीगण के तर्क को खारिज किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि में से वादी की खरीदशुदा हिस्से की भमि को वादी अकेले के नाम से खातेदारी में घोषित की जावे।

मजमें आम में प्रकरण के सम्बन्ध में छानबीन की गयी जिससे जानकारी में आया कि, वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पैतृक भूमि न होकर के वादी की खरीदशुदा भूमि है व मजमें आम में यह भी एकमत में सहमति आई की वादग्रस्त उक्त भूमि की खातेदारी वादी को दिया जाना ठीक है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी साबित होता है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, वाद डिक्री किया जाना न्यायालय के मत न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खेत खसरा नम्बर 399 रकबा 0.07 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 400 रकबा 21.05 बीघा भूमि व 408 रकबा 06.17 बीघा भूमि में प्रत्येक खसरा की भूमि में से, हिस्सा 1/8 भाग (जो, वादी हीराराम द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेत खरीदशुदा भूमि रकबा 09.15 बीघा है) का वादी हीराराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

निर्णय, आज दिनाँक **24.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **144/2010** दायर दिनाँक **21.10.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र उमाराम, उम्र—60साल, जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. नोपाराम पुत्र उमाराम, 2. गणपतराम पुत्र उमाराम, 3. स्वर्गीय रामेश्वर पुत्र उमाराम, के वारिशान्— A. कानाराम पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, B. दौलाराम पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर, C. रूकमा पत्नी स्वर्गीय रामेश्वर, 4. उगमाराम पुत्र बालुराम, 5. गोपीराम पुत्र बालुराम, 6. स्वर्गीय पूर्णाराम पुत्र बालुराम के वारिशान्— A. प्रभुराम उर्फ प्रभुराम पुत्र स्वर्गीय पूर्णाराम, B. बंशीलाल पुत्र स्वर्गीय पूर्णाराम, C. धापूदेवी पत्नी स्वर्गीय पूर्णाराम, 7. शिवपालसिंह पुत्र शिवजीराम, 8. बालुराम पुत्र मुकनाराम, 9. स्वर्गीय कालूराम के वारिशान् A. मना पुत्री स्वर्गीय कालूराम, 10. बुधाराम पुत्र रामूराम, 11. तुलछीराम पुत्र भींयाराम, 12. राजेश पुत्र अर्जुनराम, 13. गंगादेवी पत्नी अर्जुनराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **24.05.2018**

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद ग्राम धनकोली में खेत खसरा नम्बर 399 रकबा 0.07 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 400 रकबा 21.05 बीघा भूमि व 408 रकबा 06.17 बीघा भूमि में प्रत्येक खसरा की भूमि में से, हिस्सा 1/8 भाग (जो, वादी हीराराम द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेत खरीदशुदा भूमि रकबा 09.15 बीघा है) का वादी हीराराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—144—2010 / रीडर / 2018 / 　　　　　　　　दिनाँक 24.05.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र उमाराम, उम्र—60साल, जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. नोपाराम पुत्र उमाराम, जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—धनकोली

Scanned by CamScanner